स०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला–..........राँची...................., वाद संख्या–........21....................सन्–........2020–21.......... ।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

अर्जीकार–आस्तिक मांझी बनाम प्रतिपक्षी–अंचलाधिकारी, बुण्डू राँची।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

19-09-2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–आस्तिक मांझी, पिता–स्व० राधा गोविन्द मांझी, ग्राम–नवाडीह टोली, बुण्डू, पो०+थाना–बुण्डू, अनुमण्डल–बुण्डू, जिला–राँची के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–416 R 27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–28/05/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	0028	1446	4257	12 डिसमील

चौहदीः– उ०–बलराम मांझी वगैरह, द०–जिवन मांझी वगैरह,
पू०–बांध ईन्द मांझी, प०–रास्ता।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता अपने आवेदन में कहते हैं कि–उपरोक्त वर्णित भूमि को अपीलार्थी के पिताजी राधागोवन्दि मांझी पिता–घासीमांझी ग्राम–नवाडीह टोली बुण्डू पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने दिनांक–26.06.1995 को विक्रेता 1.गोविन्द मांझी वो 2.निरंजन मांझी दोनों पिता बोलो मांझी ग्राम–बुण्डू मांझी टोला, थाना–बुण्डू जिला–राँची से रजिस्ट्री पट्टा द्वारा प्राप्त किया है जिसका निबंधन संख्या–5470, क्रम संख्या–5275 है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखल–कब्जा है। उक्त भूमि का नामांतरण आवेदन में निबंधन संख्या अस्पष्ट होने का कारण देकर अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया।

अपीलार्थी की ओर से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, बुण्डू को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–416 R 27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना का प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार नामांतरण आवेदन ऑनलाइन प्राप्त है, जिसमें निबंधन संख्या अस्पष्ट है। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा उक्त नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी से पुनः स्वच्छ आवेदन प्राप्त कर उन्हें सुनते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।
	अंचल अधिकारी, बुण्डू को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।
	लेखापित एवं संशोधित।
	Sd/- 19/09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। — Sd/- 19/09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।